



2026:AHC-LKO:22935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 6301 वर्ष 2023

दिनेश कुमार त्रिपाठी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आवास

एवं नगर नियोजन, लखनऊ एवं 5 अन्य

.....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: वीरेंद्र कुमार दुबे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सम्पूर्णा नन्द

शुक्ल,

उमेश चन्द्र पाण्डेय

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र कुमार दुबे, प्रतिवादी सं० 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश चंद्र पांडेय के पक्षपत्र धारक श्री रामा रमण मिश्र, अधिवक्ता, तथा राज्य-प्रतिवादी(गण) के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है:-

(i) रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 एवं 2 में निहित विरोधी पक्षकार संख्या 6 द्वारा पारित दिनांक 17.07.2023 एवं 26.07.2023 के आदेशों को उत्प्रेषण की प्रकृति में निर्देश की रिट आदेश जारी करते हुए समस्त परिणामी लाभों सहित निरस्त किया जाए।

(ii) रिट याचिका के संलग्नक संख्या 3 में निहित विरोधी पक्षकार संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.08.2023 के प्रश्नगत आदेश को उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए समस्त परिणामी लाभों सहित निरस्त किया जाए।

(iii) परमादेश की प्रकृति में रिट आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देशित एवं आदेशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता से क्रमशः रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1, 2 एवं 3 में निहित दिनांक 17.07.2023 , 26.07.2023 एवं 07.08.2023 के उपर्युक्त प्रश्नगत आदेशों के आलोक में कोई वसूली न करें।

(iv) परमादेश की प्रकृति में रिट आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकारों को निर्देशित एवं आदेशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के पक्ष में, रिट याचिका के संलग्नक संख्या 14 में निहित दिनांक 19.04.2018 के वेतन निर्धारण आदेश के अनुसार अंतिम आहरित वेतन के आधार पर, अंतिम पेंशन भुगतान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश निर्गत कर, याचिकाकर्ता को नियमित पेंशन किसी युक्तिसंगत अवधि के भीतर प्रदान करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को यू०पी० आवास एवं विकास परिषद में ड्राफ्ट्समैन के पद पर स्थायी पदधारिता में नियुक्त किया गया था तथा आवश्यक सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात, याचिकाकर्ता एवं अन्य को रुपये 6,300- रुपये 9,000 का द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया गया। प्रथमदृष्टया, उक्त वेतनमान में कुछ असमानता थी, जब अन्य विभाग अर्थात् प्रतिवादी-राज्य के निर्माण निगम से तुलना की गई, तथा इस प्रकार कर्मचारी संघ द्वारा इस संबंध में आपत्ति उठाए जाने पर, विरोधी पक्षकार संख्या 3/ आवास आयुक्त ने राज्य सरकार की स्वीकृति लंबित रहते हुए, दिनांक 31.12.2004 के आदेश द्वारा रुपये 8,000 - रुपये 13,500 का द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया। तथापि, सहसा दिनांक 07.08.2023 के आदेश के माध्यम से उक्त वर्धित वेतनमान को वापस लिए जाने का प्रयास किया गया। यही दिनांक 07.08.2023 का आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती का विषय है।

3.1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि उक्त प्रश्नगत आदेश सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है तथा अवैध एवं मनमाना है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि उक्त आदेश 18 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात पारित नहीं किया जा सकता था, वह भी तब जबकि अधिकांश याचिकाकर्ता पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

4. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उप आयुक्त (प्रशासन) आवास, यू०पी० आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य द्वारा पारित दिनांक 25.09.2023 का पत्र, प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 07.08.2023 का प्रश्नगत आदेश का कोई पूर्वप्रभावी प्रभाव नहीं होगा, अर्थात् वर्तमान रिट

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।